कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0 / 2835 / 01–696–2017 / 2017 दिनांक: 20 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

प्रबंधक,
बाबू हरवंश बहादुर सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कालेज,
जगदीशपुर, कटारी,
वाराणसी।

विषय : महाविद्यालय में स्नातक स्तर बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक **09.03.2017** के क्रम में निर्गत विश्वविद्यालय के पत्रांक **कु0स0–2 बी स0अ0 / 2308 / 01–696–2017 / 2017 दिनांक 30 मई, 2017** के आलोक में आप द्वारा दिनांक 14.11.2017 को प्रस्तुत अभिलेखो के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–975 / 79–1–14–1(क) / 19 / 2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तरित / निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या–2527 / सत्तर–2–2008–2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक **16.12.2017** की संस्तुति एवं कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में **बाबू हरवंश बहादुर सिंह टीचर्स ट्रेनिंग** कालेज, जगदीशपुर, कटारी, चोलापुर, वाराणसी को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर** बी0एड0 पाठ्यक्रम (100 सीट) **हेतु इंगित कमियों की पूर्ति किये जाने तथा सत्र 2016–17 का परीक्षाफल शासनादेश दिनांक** 27 सितम्बर, 2002 के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने के **फलस्वरूप दिनांक 01.07.2017** से निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता (स्थायी) की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. कार्य परिषद की स्वीकृति के उपरान्त आदेश को बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता (स्थायी) माना जायेगा।
2. **संस्था / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।**
3. महाविद्यालय / संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में अनुमन्य समस्त सीटो को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षिक सत्र हेतु आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को सम्यक रूप से पूर्ण करेगी और उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।
5. **महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16 (92) / 2002, दिनांक** 02 जुलाई, 2003 में **उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशो एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों** का पालन करेगा।
6. **रिट याचिका सं0–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार** शिक्षकों के **अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0– 1010 / 70–3–2015–बी0एड0 (05) /** 2014 दिनांक 15 **जून, 2015 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।**
7. **यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में** वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा **निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित** नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश **राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को** प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये **जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।**
8. **महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये** अभिलेख भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय **की सम्बद्धता के सम्बन्ध में** कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

12. सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
13. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा–37(6), 37 (7) तथा 37 (8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगे–

37(6) :–कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।

37(7) :–कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर जैसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

37(8) :–कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

14. भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
15. महाविद्यालय द्वारा कमियों की पूर्णता एवं शर्तों के अनुपालन के सन्दर्भ में रू0 100/– का शपथ पत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत किया जायेगा। शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की स्थिति में आगामी सत्र में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही –
1– वैयक्तिक सहायक कुलपति–मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2– विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– उपकुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करें।
4– परीक्षा नियन्त्रक को इस आशय से कि उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किये जाने के उपरान्त ही परीक्षा से सम्बधित कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।
5– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

कुलसचिव